

4.4.22

पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं
थे। वादी व वादी वकील को बार-बार अवाज लगाई
गई। फिर भी अनुपस्थित रहे। और ना ही बार-
बार अवसर दिए जाने पर तलबी हेतु तलबनामा
पेश किया गया।

अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम परबी अन्वयित
आदेश ७७ नियम ०३ के तहत खारिज की जाती है।
पत्रावली केवल शुक्रा होकर नम्बर से कम
होकर काखिल दफ्तर होने निर्णय सुले
न्यायालय में सुनाया गया ५

